

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : F23(2)Food/Store/2025-03040

हस्ताक्षरित, दिनांक

कोटेशन के लिए अनुरोध

विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की 15 पुस्तकें क्रय की जानी है। अतः इस क्रम में इच्छित फर्म (किताब विक्रेता) अपना कोटेशन इस विभाग के समक्ष तीन दिवस की अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उपायुक्त (चतुर्थ)

प्रतिलिपि :-

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करावें।
2. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त (चतुर्थ)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
राजस्थान, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandi Ram
Jaswani

Designation : Deputy Commissioner

Date: 2025.05.16 14:41:36 IST

Reason: Approved

